भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 24 (आर ई - 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक : 18 फरवरी, 2011

**विषयः- प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाना।**

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अधिसूचना संख्या 19 (आर ई-2010)/ 2009-14 दिनांक 10.02.2011 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 13 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 22.12.2010 का अतिक्रमण करती है और प्याज के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

**अध्याय - 7**

**खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें एवं कन्द**

टिप्पणी 1. इस अध्याय में प्याज के संदर्भ में ताजे अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से संरक्षित अथवा शुष्कित प्याज शामिल हैं ।

| क्रम.सं0 | प्रशुल्क मद एचएस कोड | इकाई | मद विवरण | निर्यात नीति | प्रतिबंध का स्वरूप |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.01 | 07031010<br>07122000 | किग्रा. | प्याज (बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्में) कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर, | एसटीई* | 600 अमरीकी डालर प्रति मिट्रिक टन अथवा समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (एमईपी) के मद्दे निर्यात हेतु अनुमति होगी। |
| 44.02 | 07031010<br>07122000 | किग्रा. | बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज (कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर) | एसटीई* | 1400 अमरीकी डालर प्रति मिट्रिक टन अथवा समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के मद्दे निर्यात हेतु अनुमति होगी। |
| 44.03 | 07122000 | किग्रा. | कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए प्याज (सभी किस्मों के) | मुक्त | |

* एसटीई की सूची अधिसूचना सं. 51 (आर ई-2007)/2004-09 दिनांक 14.11.2007 की क्रम सं. 2 के अनुसार होगी।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

अब प्याज का निर्यात प्याज की किस्मों के आधार पर लागू एमईपी के मद्दे एसटीई के माध्यम से होगा। (i) कटे रूप में (ii) स्लाइस्ड रूप में और (iii) पाऊडर रूप में टूटे हुए, प्याज का निर्यात बिना किसी एमईपी के, मुक्त रूप से निर्यात योग्य होगा, इस संबंध में एक नई प्रविष्टि 44.03 जोड़ी गई है।

**(अनुप के0 पूजारी)**
**महानिदेशक विदेश व्यापार**
**ई मेल :-** dgft@nic.in

**( फा0सं0 01/91/180/922/ए एम 08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)**